संख्या-07/2019/544/71-4-2019-जीएन-2/2019

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
कासना, ग्रेटर नोएडा ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 09 मई, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कासना, ग्रेटर नोएडा के कार्मिकों के गैर वेतन मद के व अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-रा.अ.सं./2019/1834, दिनांक-22-04-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कासना, ग्रेटर नोएडा को उनके सम्मुख अंकित 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 2500.00 लाख (रूपया दो हजार पॉच सौ लाख मात्र) में से धनराशि रू0 1250.00 लाख (रूपया एक हजार दो सौ पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0स0	संस्था का नाम	लेखाशीर्षक	मद	अवमुक्त धनराशि (लाख में 0रू)
1-	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य'05-चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी -03-शिक्षा-0371-राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कासना, ग्रेटर नोएडा।	-20सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	1250.00
		योग		1250.00

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगीं।
3. वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगे।
6. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किए गए अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

संख्या:-07/2019/544(1)/71-4-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, कासना, ग्रेटर नोएडा ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कासना, ग्रेटर नोएडा ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।